DIA) LIMITED
of India Enterprise)
1960GOI003335
, NBCC Business Center,
, Sector-132, Noida, Pin: 201301 (UP)
TING TENDER
CS.STEEL-SCRAP/2018 Dated: 24.07.2018
scrap dealers for disposal/sale of old & used
AS on "AS IS WHERE IS BASIS" lying at

T RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED
, 9th Floor, Tower 1, Elphinstone Road, Mumbai 400013

NOTICE

Interest (Enforcement) Rules, 2002)
(2) of SECURITISATION AND RECONSTRUCTION
EMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

G Impex Pvt Ltd, Mr. Sunil Agarwal, Mrs. Seema
MG Cloth Pvt Ltd that since they have defaulted in
them from IndusInd Bank Limited (Assignor Bank).
Non-Performing Assets on 31-12-2016 in the books
ubsequently the loan assigned to Indiabulls ARC by
ment agreement dated 27.03.2018. Thereafter, The
ces on 29-06-2018 under section 13(2) of the
ial Assets and Enforcement of Security Interest Act,
dresses of the said borrowers thereby calling upon
ntire outstanding amount of **Rs. 20,06,11,147.00**
Thousand One Hundred Forty Seven Only) as on
at the contractual rate on the aforesaid amount and
stated in the said demand notices. However, the said
tion below mentioned borrowers and therefore the
publication as per Rule 3 of the Security Interest
s).

nd address of borrowers

chla Phase -I, New Delhi - 110020

rwal : House No. 73, Pocket-A-8, Kalkaji

Dallupura, Chahat Ram and Shadana Mohalla,

63, NOIDA-201301 **Also at:** A-8/25, Kalkaji

of secured asset

tial property situate being and lying at Plot No. 119,
0 sqr mtr owned by Mr. Nawal Singh Verma
property situate being and lying at Plot No. F-466,
1.00 sqr mtr owned by M/s M.G. Cloth Pvt. Ltd.

erein to pay us within 60 days from the date of this
with further interest thereon plus cost, charges,
be at liberty to enforce the security interest including
selling the secured asset entirely at your risk as to the

the SARAFESI Act, all of you are prohibited from
se, the aforesaid secured assets without prior written
of the said section by you shall invoke the penal
f the SARFAESI Act and / or any other legal provision

Sd/-
For IndiabullsAssets Reconstruccion Co. Ltd
Authorised Officer

STATE BANK OF INDIA

Singh	name of Mr. Shashi Kumar s/o Sh. Bhikam Singh, Bounded as : East-Rasta 7.62 mtr. wide, West-Plot No. 36, North-Rasta 7.62 mtr. wide, South-Plot No. 38	02-05-18 19-07-18
M/s Shanti Builders Prop. Mr. Prashant Kumar Yadav	House No. 537/10, Pt. Din Dayal Upadhyay Puram, Avas Vikas Coloy, Sikandra, Agra, Area-62.48 sq. mtr., In the name of Mr. Maujpal Singh Yadav, Bounded as : East-House No. 536, West-House No. 538, North- 6 mtr. wide Road, South-House No. 483	₹ 15,51,069/- + Intt. & other charges 26-10-16 19-07-18
Mr. Nissar Ahmad s/o Sh. Ismile Khan	'House' part of Khasra No. 30, situated at Mauja-Deuretha, Teh. & Distt. Agra, Area-41.80 sq. mtr., In the name of Mr. Nissar Ahmad s/o Sh. Ismile Khan, Bounded as : East-Plot of Hari Singh, West-Rasta & Nikas 12 ft. wide, North-House of Yogendra Sharma, South-Plot Raju Sharma	₹ 9,28,959.44 + Intt. & other charges 20-01-18 19-07-18
Mrs. Vandana Gaur w/o Sh. Roopesh Gaur	Residential House on part of Plot No. 201 & Part of Khasra No. 128, Vivek Vihar, Kalwari, Agra, Area-89.68 sq. mtr., In the name of Mrs. Vandna Gaur w/o Sh.Roopesh Gaur, Bounded as : East-Plot No. 200, West-Plot 201 rest part, North-Plot No. 202, South-Road 9 mtr. wide	₹ 14,89,063.89 + Intt. & other charges 02-05-18 19-07-18
M/s Devi Molding Works, Prop. Mr. Prashant Kumar Lakhera	Property at Khasra No. 584, No. 17/41-A & Min Jumla No. 17/41 B-1, Raj Nagar (Pul Chhinga Modi), Lohamandi Ward, Agra, Area-142.13 sq. mtr., In the name of Mr. Prashant Kumar Lakhera & Mr. Amit Lakhera, Bounded as : East-Part of Property No. 17/41-B-1 Rohtan Singh, West-Property of Nirottam, North-Rasta & Nikas, South-Part of Property No. 17/14-B-1 of Ram Kishan, Rasta & Gali	₹ 15,62,718.93 + Intt. & other charges 25-07-17 19-07-18
Mr. Banti Sharma s/o Sh.Bacchu Singh	Property situated at LIG A-34, Sector-A, Shastripuram, Sikandra, Agra, Area-63.17 sq. mtr., In the name of Mrs. Sharda Sharma, Bounded as : East-Road 25 ft.wide after Park, West-LIG Bhawan, North-LIG Bhawan No. A-35, South-LIG Bhawan No. A-33	₹ 4,79,586.00 + Intt. & other charges 02-05-18 19-07-18
Mrs. Namita Sharma w/o Sh. Avneesh Sharma	House no. 14/54/2B, Soron Katra, Shahganj, Agra, Area-72.83 sq. mtr., In the name of Mrs. Namita Sharma w/o Sh. Avneesh Sharma, Bounded as : East-Gali 6 ft. wide & House of Deegar, West-Property Deegar, North-House of Babu Kureshi, South-House of Chot Ram	₹ 19,97,924.00 + Intt. & other charges 02-05-18 19-07-18
Mr. Arvind Kumar Tiwari s/o Sh. Narayan Tiwari	Property house No. 293, Sector 1, situated at Pt. Deen Dayal Upadhyay Puram, Sikandra Yojana, Agra, Area-41.32 sq. mtr., In the name of Mr. Arvind Tiwari s/o Sh. Narayan Tiwari, Bounded as : East-House No. 294/1, West-House No. 292/1, North-Plot No. 324/1, South- Road 6 mtr. wide	₹ 13,83,051.00 + Intt. & other charges 02-05-18 19-07-18

Date 19-07-2018 Place : Agra **Authorised Officer, Bank of India**

Position of Funds = Demanded
Date of Publishing: 20.07.2018 01.00 P.M.
1. Bid Documents can be seen at and downloaded from the website: http://jktenders.gov.in from **20.07.2018 (01.00 P.M.)**

PHEMN/1820-22
Dated: 20.07.2018
DIPJ-1863P

Sd/- Executive Engineer
PHE Mech. Division North
Jammu.

INDIAN TONERS & DEVELOPERS LIMITED
CIN: L74993UP1990PLC015721
Regd.Off.: 10.5 KM Milestone, Rampur -Bareily Road, Rampur- 244901
Website: www.indiantoners.com; **e-mail:** info@indiantoners.com, **Phone: 011-45017000**

Extract of unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2018

(Rs in Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	STANDALONE			
	Quarter ended			Year ended
	June 30, 2018 (Unaudited)	March 31, 2018 (Audited)	June 30, 2017 (Unaudited)	March 31, 2018 (Audited)
Total income from operations	2,751.42	2,942.03	2,329.76	11,744.93
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	587.84	895.27	450.02	2,986.10
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	587.84	895.27	450.02	2,986.10
Net Profit/(Loss) for the period after tax and Exceptional items	582.15	698.76	357.05	2,422.35
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	579.20	696.24	354.27	2,411.46
Equity Share Capital	1,316.16	1,316.16	805.89	1,316.16
Earnings per share of Rs 10 each				
(a) Basic (Rs)	4.42	5.31	4.43	18.40
(b) Diluted (Rs)	4.42	5.31	2.71	18.40

Notes:
The above unaudited standalone financial results were subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 23rd July, 2018. The review report of the Statutory Auditors is being filed with the Bombay Stock Exchange.
The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2018, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2018 alongwith review report of the Statutory Auditors is available under investors section of our website at www.indiantoners.com and under Financial Results at Corporate section of www.bseindia.com.

By Order of the Board
For Indian Toners &Developers Limited
Sd/-
(SUSHIL JAIN)
Chairman & Managing Director
DIN 00323952

Place : New Delhi
Date : 23rd July, 2018

ान का अनुरोध किया गया है। इसे दक्षिण रेलवे ने दोनों घटनाओं के लिए पर लटक कर यात्रा करने को र ठहराया है।

जाना चाहिए और उन लोगों को भी आर्थिक मदद दी जानी चाहिए जिन्होंने मकान का सपना संजो कर बरसों पाई-पाई जोड़ी और इमारतों के ध्वस्त होने के साथ ही उनके सपने भी चकनाचूर हो गए।

सुनवाई के लिए प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और इनमें यथाशीघ्र फैसले की कोशिश की जानी चाहिए।

बलात्कार के मामलों में मुजरिमों को फांसी

सकती है। लेकिन किसी-न-किसी तरीके से इसके समुचित उपाय तो किए जाने चाहिए कि यह सामग्री लोगों, खासकर किशोरों को गुमराह न कर सके।

वाडा रिपोर्ट : यूसुफ पठान को ड़कर डोपमुक्त रहे सभी खिलाड़ी

ी, 24 जुलाई (भाषा)।

फ पठान की 'अनजाने' में की गई गलती पिछले साल भारतीय क्रिकेट रिकार्ड में एकमात्र धब्बा रहा। वाडा रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया बीसीसीआइ की 275 नमूनों की जांच के बाद तैयार की गई। वाडा रिपोर्ट खिलाड़ी का नाम नहीं दिया गया है लेकिन जिस क्रिकेटर का जिक्र किया वह पूर्व भारतीय खिलाड़ी यूसुफ पठान हैं जिन पर बीसीसीआइ ने पांच का पूर्वप्रभावी प्रतिबंध लगाया था और जो इस साल आइपीएल से पहले हो गया था। बीसीसीआइ ने तब जो बयान जारी किया था उसके अनुसार पठान ने 'खांसी की दवा में पाए जाने वाला प्रतिबंधित पदार्थ अनजाने में था।' पठान को इस वजह से 15 अगस्त 2017 से 14 जनवरी 2018 तक यों में निलंबित किया गया था। प्रतिकूल विश्लेषणात्मक जांच (एएएफ) अकेला मामला था लेकिन अनियमित जांच (एटीएफ) में कहा गया है खिलाड़ियों के मूत्र के नमूने संदेहास्पद थे।

त विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के प्री-क्वार्टर फाइनल में

4 जुलाई (भाषा)।

बान भारत, खिताब के प्रबल दावेदार मिस्र और इंग्लैंड ने मंगलवार को यहां एफ-विश्व जूनियर पुरुष टीम चैंपियनशिप के प्री-क्वार्टरफाइनल में जगह न तीनों टीमों ने अपने अपने ग्रुप में दो-दो मैच जीते। मिस्र और इंग्लैंड को करने में कोई परेशानी नहीं हुई तो वहीं ग्रुप ई में भारत को अपने दूसरे मैच ग्लैंड को 2-1 से हराने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी।

ण्ड से भारत नाराज

ा गया

 बांगड़ और गी स्टाफ को मैदानकर्मियों श्रेणी मैच का भारतीय टीम

ोपनीयता की मांगों को मान न मांगों को शामिल है तो को मानने के या है। यह निवार) के नाराजगी इस है जिस पर पर जरूरत

ने मैच में से घास कम किया। इस

बदलाव के बाद टीम के बल्लेबाजों ने थ्रोडाउन अभ्यास किया। तीनों स्पिनरों ने भी घास वाली पिच पर गेंदबाजी अभ्यास किया। भारतीय टीम का अभ्यास सत्र लगभग चार घंटे तक चला जिसमें खिलाड़ी दो बैच में अभ्यास करने के लिए आए थे। लगभग सभी बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने यहां जमकर पसीना बहाया। चेतेश्वर पुजारा, मुरली विजय और कप्तान विराट कोहली ने स्लिप में कैच का अभ्यास भी किया।

टीम प्रबंधन के बयान के मुताबिक भारतीय दल शनिवार को बर्मिंघम रवाना होगा और श्रृंखला के शुरुआती टैस्ट (एक अगस्त) के लिए वहां एक दिन पहले पहुंचेगा। टैस्ट मैचों के दौरान विकेट और मैदान की जो स्थिति होने की संभावना है उससे यहां की परिस्थितियां पूरी तरह से भिन्न हैं। ऐसे में यह देखना होगा की टीम प्रबंधन किस तरह से अगले तीन दिनों के अभ्यास को लेता है।

अभ्यास सत्र में जसप्रीत बुमराह को बाएं हाथ के अंगूठे में पट्टी बांधकर गेंदबाजी करते देखा गया। वह इशांत शर्मा के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। मोहम्मद शमी ने भी नेट पर लंबा स्पेल डाला। शिखर धवन ने यहां शार्ट पिच गेंदों को खेलने का अभ्यास किया। वह शास्त्री से सलाह भी ले रहे थे। कोहली ने थ्रोडाउन पर अभ्यास किया। सलामी बल्लेबाजों के बाद लोकेश राहुल और चेतेश्वर पुजारा ने बल्लेबाजी अभ्यास किया।

इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड

CIN - L74993UP1990PLC015721
पंजी. कार्यालय: 10.5 किमी, माईलस्टोन, रामपुर-बरेली रोड, रामपुर- 244901
वेबसाईट: www.indiantoners.com, ई-मेल: info@indiantoners.com, फोन नं.: 011-45017000

30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिये स्टैण्डएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाखों में), यदि वह अन्य रूप में कथित नहीं हो

विवरण	स्टैण्डएलॉन			
	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
	30 जून, 2018 (अनंकेक्षित)	31 मार्च, 2018 (अंकेक्षित)	30 जून, 2017 (अनंकेक्षित)	31 मार्च 2018 (अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय	2751.42	2942.03	2329.76	11744.93
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर तथा असाधारण मदों से पूर्व)	587.84	895.27	450.02	2986.10
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	587.84	895.27	450.02	2986.10
कर तथा असाधारण मदों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)	582.15	698.76	357.05	2422.35
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद)/ लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल	579.20	696.24	354.27	2411.46
इक्विटी शेयर पूंजी	1316.16	1316.16	805.89	1316.16
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)				
मूल	4.42	5.31	4.43	18.40
तरल	4.42	5.31	2.71	18.40

टिप्पणी:
यह अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणाम, कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन थे, की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 23 जुलाई, 2018 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांविधिक अंकेक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की जा रही है।
उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। सांविधिक अंकेक्षकों के सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाईट www.indiantoners.com के निवेशक खंड के अंतर्गत तथा www.bseindia.com के कॉर्पोरेट खंड में वित्तीय परिणामों के अंतर्गत उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
(सुशील जैन)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
DIN: 00323952

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 23 जुलाई, 2018

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

डिफेन्स कॉलोनी, शाखा, नई दिल्ली
संपर्क सं. 011-24622063, 24626554

ऋणधारकों के लिये सूचना

(सरफैसी अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत)

सेवा में,
श्री हरगिंद छाबड़ा, एच.नं. 431 सी, प्रथम तल, पालम विहार, गुड़गांव
प्रिय महोदय
विषय: हमारी डिफेन्स कॉलोनी नई दिल्ली शाखा में साख सुविधाएं

1. हम आपका ध्यान अपने पत्र सं. निल तिथि 20.4.2014 के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसमें विभिन्न साख सुविधाओं को स्वीकृति तथा स्वीकृति की शर्तें दी गई हैं। उपरोक्त स्वीकृति के अनुपालन में आपने यहां के बाद वर्णित रूप में उसके लिये प्रतिभूति उपलब्ध कराने के बाद साख सुविधाएं प्राप्त की तथा उसका प्रयोग करना आरंभ किया। विभिन्न ऋण/ साख सुविधा में वर्तमान बकाया तथा ऐसी देयता के लिये निर्मित प्रतिभूति हित इस प्रकार है:

क्रम सं.	सुविधा की प्रकृति एवं प्रकार	लिमिट (रु.)	ब्याज दर	30.6.2018 को बकाया (24.3.2018 तक ब्याज सहित)	प्रतिभूतियों के संक्षिप्त विवरणों के साथ प्रतिभूत अनुबंध
1.	कार ऋण	4,12,000/-	10.50%	1,06,447 + उपयुक्त ब्याज एवं अन्य चार्जेज	मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXI, पंजीकरण सं. HR26CF8839, इंजिन नं. K12MN1323882, चैसिस नं. MA3EHKD1S00538531

2. ऋण की अभिस्वीकृति पत्र तिथि 12.5.2016 में आप ने रु. 2,74,676/- (रुपये दो लाख चौहत्तर हजार छः सौ छियत्तर मात्र) की राशि के बैंक के प्रति अपनी देयता स्वीकार की है। उपरोक्त बकाये में 12.5.2016 तक आगे का ड्रॉइंग्स शामिल है।
3. जैसा कि आप जानते हैं, मार्च 2018 तथा जून, 2018 में समाप्त तिमाही के लिये आपने उपरोक्त ऋणों/ बकायों पर ब्याज के भुगतान में चूक की है। आप ने मार्च 2018 तथा उसके बाद भुगतान के लिये नियत सावधि ऋण के किस्तों के भुगतान में भी चूक की है।
4. आपके द्वारा की गई चूक के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार 23.6.2018 को आपकी ऋण खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। बार-बार की गई अनुरोध तथा मांगों के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों का भुगतान नहीं किया है।
5. ऊपर पैरा 1 में वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में आपकी देयता को पूरा करने में आपकी विफलता तथा आपकी खाता को एक गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकरण को देखते हुए हम एतद्द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचना देते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर पैरा 1 में वर्णित कुल 1,06,477/- की बैंक की बकाया राशि का सम्पूर्ण भुगतान करें तथा अपनी देयताओं को निष्पादित करें।
हम पुनः आपको सूचित करते हैं कि यदि भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ उपरोक्त राशि के भुगतान में आप विफल होते हैं तो हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये स्वतंत्र होंगे। कृपया, इसका ध्यान रखें।
6. कृपया ध्यान रहे कि सम्पूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधा के लिये ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज उपचयित होती रहेगी।
7. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की उप-धारा 13 के प्रति आकृष्ट करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त) ऊपर पैरा 1 में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का किसी भी रूप में अंतरण करने से आप वंचित हैं। हम पुनः सूचित करते हैं कि उक्त अनुबंध की धारा 13 (13) में शामिल उपरोक्त प्रावधान की अवज्ञा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।
8. हम पुनः आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसके अनुसार यदि आप सार्वजनिक नीलामी/ कोटेशन/ निविदा आमंत्रित करने/ निजी संधि के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी भी समय सभी लागतों, चार्जेज तथा बैंक द्वारा वहन की गई खर्चों के साथ बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित कर सकते हैं।
9. कृपया ध्यान रहे कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे लिमिटेशन रहित, हमारी बकाया राशि के संदर्भ में आगे मांग करने के अधिकार सहित हमें उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों को छूट देने के रूप में नहीं माना जायेगा।

आपका विश्वासभाजन
आर.एस. नंदा
प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक